


राजस्थान सरकार  
निदेशालय, महिला अधिकारिता  
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक:- प-7(1)(18)निमअ/स्टोर/बालिका दिवस /2018-19/1568 जयपुर, दिनांक:- 15.01.2019

कोटेशन का अनुरोध

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान के अध्यक्षीन विभाग द्वारा गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान समारोह हेतु राष्ट्रीय बालिका दिवस दिनांक 24.01.2019 हेतु फ्लैक्सि बैनर का कार्य करवाया जाना है। जिसके लिए इच्छुक फर्मो से मुहरबन्द बोलियां दिनांक 18.01.2019 को प्रातः 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त समस्त मुहरबन्द बोलियां उपस्थित बोलीदाताओं/संवेदको के समक्ष उसी दिन दोपहर 12.00 बजे विभागीय उपापन समिति के द्वारा खोली जाएगी। कार्य की अनुमानित लागत लगभग राशि 0.95 लाख रुपये समारोह के कार्यक्रम के लिए होगी।


संलग्न - प्रपत्र - 'अ' एवं निविदा की शर्तें



(प्रकाश चन्द्र शर्मा)  
अति० निदेशक, (एस.एच.जी)  
एवं कार्यालयाध्यक्ष  
महिला अधिकारिता  
राज०, जयपुर

क्रमांक:- प-7(1)(18)निमअ/स्टोर/बालिका दिवस /2018-19/1569-72 जयपुर, दिनांक:- 15.01.2019  
प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है - 17.1.19

1. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
2. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु .....
3. मैसर्स .....
4. आदेश पत्रावली

  
प्रभारी अधिकारी(स्टोर)  
महिला अधिकारिता  
राजस्थान, जयपुर

निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा आयोजित किये जाने वाले गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान समारोह हेतु राष्ट्रीय बालिका दिवस दिनांक 24.01.2019 हेतु फ्लैक्सि बैनर का कार्य करवाया जाना है। जिसका कार्य विवरण एवं बोली दस्तावेज की शर्तों:-

कार्य विवरण प्रपत्र -अ

क्र सं.	सामग्री	साईज	सामग्री की मात्रा	प्रस्तुत दर (समस्त कर सहित) प्रति वर्ग फुट/प्रति नग(रूपये में)
1.	बैकड्राप	10×4 फुट	1 नग	
2.	स्टैण्डीज	5×3 फुट	20 नग	
3.	हॉर्डिंग	20×10 फुट 40×10 फुट	4 नग 6 नग	
4.	प्रशस्ति -पत्र फ्रेम सहित	8.3 ×11.7 इंच (ए.फोर)	17 नग	
5.	सनबोर्ड (5.0 एम.एम विनाईल ईको प्रिन्ट पेस्टींग सहित)	3×2 फुट	17 नग	

नोट:-बोलीदाताओं के कोटेशन में विभिन्न आईटम वार न्यूनतम दर अलग-अलग दर प्राप्त होने पर समेकित दरों के आधार पर न्यूनतम दर स्वीकार की जावेगी।

नोट:- बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिये तथा बोली दस्तावेज भेजते समय इसकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिये, इन शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना आवश्यक है अन्यथा बोली दस्तावेज पर विचार नहीं किया जावेगा। इस बोली दस्तावेज/अनुबंध के क्रम में की जाने वाली क्रय व सभी आपूर्ति पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगे/रहेंगे।

- 1- बोलीदाता द्वारा प्रपत्र अ में वित्तीय प्रस्ताव देने होंगे।
- 2- विभाग द्वारा मांग किये जाने पर सामग्री विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान (क्रम संख्या 1, 2, 4, 5, की सामग्री ओ.टी.एस ऑडिटोरियम, एवं 3 की सामग्री नगर निगम के चिन्हित स्थानों पर बोलीदाता द्वारा लगानी होगी)में व्यवस्था करनी होगी। जिसमें लोडिंग, अनलोडिंग सहित समस्त प्रभार संवेदक के होंगे।
- 3- संवेदक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री मानक स्तर के होंगे।
- 4- उक्त सामग्री के अतिरिक्त कार्य विभाग के निर्देशानुसार संवेदक को करने की बाध्यता होगी।

हस्ताक्षर बोली दाता  
फर्म का नाम एवं पता  
मोबाईल नं.